भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4151
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना</u>

4151. श्री कालिपद सरेन खेरवालः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राजसहायता प्राप्त रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) योजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है साथ ही इसके अंतर्गत राज्यवार और विशेषकर पश्चिम बंगाल में कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, फरवरी, 2024 से पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीः एमबीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक 75,021 करोड़ रु. के परिव्यय से आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर की स्थापना करना है।

व्यक्तिगत घरों के लिए पीएमएसजीः एमबीवाई के अंतर्गत उपलब्ध केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रथम 2 किलोवाट पीक के लिए 30,000 रुपये प्रति किलोवाट और अतिरिक्त एक किलोवाट के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट है। सब्सिडी व्यक्तिगत घर के लिए सब्सिडी 3 किलोवाट रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता तक सीमित है।

समूह आवासीय सोसाइटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/आरडब्लूए) के लिए सीएफए 18,000 रु. प्रति किलोवाट है, जिसमें रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता की सीमा 500 किलोवाट पीक है।

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे विशेष श्रेणी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में सीएफए 10% अधिक है। यह योजना पश्चिम बंगाल राज्य के उपभोक्ताओं सहित देश भर के सभी आवासीय उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। यह योजना मांग आधारित है और क्षमता/निधि का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। पात्र उपभोक्ता, योजना में ऑनलाइन पोर्टल www.pmsuryaghar.gov.in के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दिनांक 19.03.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल 10.42 लाख घरों को योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना से लाभ प्राप्त हुआ है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

अनुलग्नक

'पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4151 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 19.03.2025 की स्थिति के अनुसार पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्य	आवेदन (संख्या)	लाभान्वित परिवार (संख्या)	जारी सीएफए (करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	11,64,150	16,556	79.92
2	अरुणाचल प्रदेश	94	-	-
3	असम	3,04,859	10,142	52.45
4	बिहार	70,919	4,971	23.61
5	छत्तीसगढ़	37,351	2,299	7.58
6	गोवा	4,511	828	2.87
7	गुजरात	3,99,351	4,04,464	2,031.43
8	हरियाणा	1,66,338	21,600	96.75
9	हिमाचल प्रदेश	6,358	1,673	8.99
10	झारखंड	7,138	261	1.27
11	कर्नाटक	2,15,785	10,127	43.22
12	केरल	1,28,910	80,856	492.06
13	मध्य प्रदेश	62,465	31,086	189.85
14	महाराष्ट्र	5,68,346	2,47,610	889.14
15	मणिपुर	772	220	1.31
16	मेघालय	2,050	18	0.08
17	मिजोरम	666	129	0.73
18	नागालैंड	245	8	0.05
19	ओडिशा	95,079	3,193	16.13
20	पंजाब	14,704	5,385	31.58
21	राजस्थान	2,29,852	33,872	207.34
22	सिक्किम	58	4	0.02
23	तमिलनाडु	83,500	29,211	141.16
24	तेलंगाना	46,585	13,677	55.23
25	त्रिपुरा	3,533	168	0.89
26	उत्तर प्रदेश	10,50,448	95,842	550.68
27	उत्तराखंड	47,004	19,767	125.78
28	पश्चिम बंगाल	26,787	459	-
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	176	17	0.06
30	चंडीगढ़	1,377	641	1.80
31	दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,625	136	0.48
32	जम्मू और कश्मीर	33,521	2,597	9.22
33	लद्दाख	692	346	2.48
34	लक्षद्वीप	718	261	1.73
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8,409	3,251	6.99
36	पुडुचेरी	1,451	745	4.41
	कुल	47,85,827	10,42,420	5,077.27

*****